



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-12052021-226979  
CG-MH-E-12052021-226979

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 195]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 12, 2021/वैशाख 22, 1943

No. 195]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 12, 2021/VAISAKHA 22, 1943

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 12 मई, 2021

सं. सेबी/ एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/24.—भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग अधिनियम, 2020 (बाइलेट्रल नेटिंग ऑफ क्वालिफाइड फाइनेंशियल कॉण्ट्रैक्ट एक्ट, 2020) [2020 का 30] की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (ण) के उप-खंड (vi) के साथ पठित धारा 4 के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निम्नलिखित एंटिटियों को अर्हित वित्तीय बाजार सहभागियों (अर्हित वित्तीय बाजार भागीदारों / क्वालिफाइड फाइनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेंट्स) के रूप में निर्धारित करता है जो, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा निर्धारित किए जाने वाले प्रावधानों के अध्यधीन, पहली अनुसूची में यथा उल्लिखित किसी विनियामक प्राधिकरण (रेग्युलेटरी अथॉरिटी) द्वारा अधिसूचित अर्हित वित्तीय संविदाएँ (क्वालिफाइड फाइनेंशियल कॉण्ट्रैक्ट) कर सकेंगी:-

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से रजिस्ट्रीकृत पारस्परिक निधि (म्यूचुअल फंड); और
2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से रजिस्ट्रीकृत आनुकल्पिक निवेश निधि (ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड)

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./59/2021-22]

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA****NOTIFICATION**

Mumbai, the 12th May, 2021

**No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/24.**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Section 4 read with sub-clause (vi) of clause (o) of sub-section (1) of section 2 of the Bilateral Netting of Qualified Financial Contract Act, 2020 (30 of 2020), the Securities and Exchange Board of India hereby specifies the following entities as qualified financial market participants, which subject to the provisions as may be specified by the Securities and Exchange Board of India, may enter into qualified financial contracts notified by any regulatory authority as specified in the First Schedule: -

1. Mutual Fund registered with Securities and Exchange Board of India; and
2. Alternative Investment Fund registered with Securities and Exchange Board of India.

AJAY TYAGI, Chairman

[Advt.-III/4/Exty./59/2021-22]